[रिपोर्ट योग्य]

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 3767

बिहार राज्य और अन्य अपीलकर्ता/(गण)

बनाम

अरबिंद जी उत्तरदाता/(गण)

<u>निर्णय</u>

ऋषिकेश रॉय, न्या.

1. यह अपील 2008 के एलपीए नं. 245 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 29.9.2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई है।

2. प्रतिवादी के पिता एक होमगार्ड के रूप में काम कर रहे थे और उसकी सेवा में मृत्यु के बाद, प्रतिवादी ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।संबंधित समिति ने प्रतिवादी और अन्य लोगों की सिफारिश की जिसके बाद आदेश दिया गया जो दिनांक २०. ११. १९८५ का पृष्ठ १ बिहार होम गार्ड के कमांडेंट द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों में से एक का नाम प्रत्यर्थी के रुप में अग्रेषित किया गया था.यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा जारी शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र पर सशर्त थी और यह स्पष्ट किया गया था कि सूचीबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति उनकी क्षमता, शैक्षिक योग्यता आदि की उचित संतुष्टि के बाद ही प्रभावी होगी।

3. अनुशंसित व्यक्ति निदेश के अनुसार होम गार्ड मुख्यालय में उपस्थित हुए, किंतु प्रत्यर्थी को नियुक्ति से इंकार कर दिया गया क्योंकि वह शारीरिक मानकों में अपर्याप्त पाया गया।इस प्रकार व्यथित, प्रत्यर्थी ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए पटना उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त की.चूंकि प्रत्यर्थी को अधिनायक लिपिकके पद के लिए चुना गया था, उसने 1993 के एसएलपी (सी) नं. 6437 के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। परिणामस्वरुप 1996 की सिविल अपील नं. 220 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश के साथ अनुमति दी गईः-

"……इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और प्रत्यर्थियों को बिहार राज्य के होमगार्ड विभाग में 'अधिनायक लिपिक' के पद पर अपीलकर्ता को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर नियुक्त करने का आदेश देते हैं।"

4. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के अनुसरण में, बिहार होम गार्ड बटालियन, पटना के कमांडेंट द्वारा दिनांक 10.2.1996 को जारी किए गए 1996 के आदेश संख्या 108 द्वारा 27 फरवरी, 1996 को प्रत्यर्थी की नियुक्ति की गई थी।सेवा में शामिल होने के छह साल बाद, प्रत्यर्थी द्वारा 5.12.1985 से वरिष्ठता का दावा करते हुए 10.9.2002 को एक आवेदन किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस आधार पर 20.11.2002 को दावे को अस्वीकार कर दिया कि प्रत्यर्थी को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 27.2.1996 को नियुक्त किया गया था और वह 5.12.1985 को सेवा में नहीं था।इसके बाद अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गई और पटना उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6683/2003 में प्राधिकारी को 5.12.1985 से प्रतिवादी की वरिष्ठता पर विचार करने का निर्देश दिया।

5. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को राज्य द्वारा चुनौती दी गई थी, और खंड पीठ द्वारा दिनांक 29.09.2008 को 2008 की एलपीए संख्या 245 को खारिज करते हुए नोट किया गया कि प्रत्यर्थी को इस आधार पर (जैसा कि 20.11.1985 को प्रस्तावित था) नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था कि वह एक कांस्टेबल के लिए भौतिक मानकों के अनुरूप नहीं था और अंततः न्यायालय ने प्रतिवादी की नियुक्ति होम गार्ड विभाग में अधिनायक लिपिकके रूप में करने का निर्देश दिया।इसलिए, नियुक्ति का संबंध 20 नवंबर, 1985 के प्रारंभिक आदेश की तारीख से होना चाहिए।इस अवलोकन के साथ, राज्य सरकार का एलपीए इस अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

6. हमने श्री अभिनव मुखर्जी, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व श्री सात्विक मिश्रा, विद्वान वकील द्वारा किया गया है.

7. यहां इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है कि क्या प्रत्यर्थी पिछली तारीख अर्थात् 20.11.1985 से सेवा में वरिष्ठता का दावा करने का हकदार है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था या क्या वह सेवा में प्रवेश करने की तारीख से वरिष्ठता का हकदार है।

8. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदेश संख्या 1169/1985, जिसमें प्रत्यर्थी को कुछ अन्य लोगों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था, वह लागू नहीं हुआ था और वास्तव में प्रत्यर्थी के लिए मना कर दिया गया था क्योंकि वह शारीरिक मानकों को पूरा करने में विफल रहा था.अंततः, उच्चतम न्यायालय के आदेश की सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्यर्थी को नियुक्त करने के लिए इस न्यायालय द्वारा 2.1.1996 को जारी किए गए निर्देश के बाद, प्रत्यर्थी को 10.02.1996 को नियुक्त किया गया था।प्रतिवादी बिना किसी विलंब के सेवा में शामिल हुआ और 5.12.1985 से वरिष्ठता का दावा करने

के लिए 10.9.2002 को अभ्यावेदन करने तक अपनी नियुक्ति पर किसी भी पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए कोई दावा नहीं किया.

9. इस न्यायालय के समक्ष पिछले दौर में, प्रत्यर्थी अधिनायक लिपिकके रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के बारे में चिंतित था और एक महीने की समय-सीमा विनिर्दिष्ट करते हुए उसे नियुक्त करने का निदेश जारी किया गया था।लेकिन नियुक्त किए गए व्यक्ति को पूर्वव्यापी लाभ की अनुमति देने का कोई निर्देश नहीं था।ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आगे नहीं जाना चाहिए था कि उसकी वरिष्ठता की गणना 5.12.1985 से की जानी चाहिए थी, हालांकि उसने एक दशक बाद केवल 10.2.1996 को सेवा में प्रवेश किया था.इसके अलावा, प्रतिवादी ने सेवा में प्रवेश करने के बाद भी पूर्वव्यापी नियुक्ति के लाभ का तुरंत दावा नहीं किया, और केवल 10.9.2002 को उसने 5.12.1985 से वरिष्ठता का दावा करने के लिए कमांडेंट के पास आवेदन किया, जिसे प्राधिकरण द्वारा 20.11.2002 को अस्वीकार कर दिया गया था.

10. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी ने केवल 10.2.1996 को सेवा में प्रवेश किया और फिर भी आक्षेपित निर्णय के तहत, उच्च न्यायालय ने 20.11.1985 से उसकी वरिष्ठता की गणना करने का निर्देश दिया उसे सेवा में नहीं लाया गया था।सेवा कानून के क्षेत्र में न्यायशास्त्र हमें सलाह देगा कि पिछली तारीख से वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब से कोई कर्मचारी सेवा में नहीं है।यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक अदालत द्वारा निर्देशित या लागू नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक पूर्वव्यापी वरिष्ठता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि ऐसा करने से पहले सेवा में प्रवेश करने वाले अन्य लोग प्रभावित होंगे।

11. पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने को चुनौती देने के लिए, अपीलार्थी के विद्वत वकील ने शीतल प्रसाद शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[1] का हवाला दिया है जहां यह न्यायालय न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर के माध्यम से बोलते हुए उन्होंने सही कहा किः

> "10. नियमित रुप से पूर्व में सेवा में आने वाले कर्मचारनी के ऊपर विलंब से सेवा में योगदान देने वाले को तरजीह नहीं दी जा सकती।सैद्धांतिक रूप से अपीलकर्ता इसलिए सफल नहीं हो सकता है,इससे भी अधिक वरिष्ठता के मामलों में न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारण के विरुद्ध अपीलीय अधिकारिता के समान अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने ईमानदारी से कार्य किया है और निष्पक्षता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों पर कार्य किया है।एक ऐसे मामले में जहां स्थिति को नियंत्रित करने वाला कोई नियम या विनियम नहीं है या

1(1986) (सप्लीमेंट) एससीसी 185

जहां एक है, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं किया गया है, वहां न्यायालय उस विनिश्चय नहीं पलटेगा जब तक कि ऐसा न करना अनुचित न हो..."

12. शीतला प्रसाद शुक्ला (उपर्युक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होते हैं। प्रतिवादी की अनुकम्पा से की गई नियुक्ति पर यहां सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस अवधि के दौरान एक भी दिन काम किए बिना 10 साल के लिए वरिष्ठता लाभ का दावा कर रहा है.दूसरे शब्दों में, 1985 से 1996 के बीच सेवा में आए अन्य नियमित कर्मचारियों की तुलना में वरीयता का दावा किया जा रहा है। इस स्थिति में, वरिष्ठता संतुलन उन लोगों के खिलाफ झुकाव नहीं किया जा सकता है जो प्रतिवादी से बहुत पहले सेवा में आए थे.वरिष्ठता लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सेवा में शामिल होता है और यह कहता है कि लाभ पूर्वव्यापी रूप से अर्जित किया जा सकता है, यह गलत होगा। ऐसा दृष्टिकोण कई मामलों में और हाल ही में गंगा विशान गुजराती और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[2] के मामले में व्यक्त किया गया है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित राय व्यक्त कीः- -

"41. इस न्यायालय की पूर्ववर्ती धारा इस सिद्धांत का अनुसरण करती है कि किसी कर्मचारी को उस तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है जब कर्मचारी किसी कैडर आया ही नहीं था। समान श्रेणी के सदस्यों के बीच वरिष्ठता की गणना ग्रेड में प्रारंभिक प्रविष्टि की तारीख से की जानी चाहिए।यह सिद्धांत इस न्यायालय की संविधान पीठ के प्रत्यक्ष निर्णय सीधी बहाली वर्ग वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य[3] से उभरता है। इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ[4] और उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा[5] के मामले में इस सिद्धांत को दोहराया था।"

13. प्रत्यर्थी के लिए विद्वत वकील सी पर निर्भर करता है। जयचंद्रन बनाम केरल राज्य[6] पर निर्भर करते है कि इस मामले में पूर्वव्यापी वरिष्ठता के लिए बहस करेंगे।य ह पीठ कहना चाहती है कि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने एक मेहनती वादी के संदर्भ में यह मत व्यक्त कियाः

"41...अपीलार्थी ने 11-4-2012 को, अर्थात् अपने पदभार ग्रहण करने के 1 वर्ष और 2 महीने के भीतर, अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और 18-9-2014 को स्मार-

---

2(2019) 16 एससीसी 28

3(1990) 2 एससीसी 715

41991 अनुपूरक.(1) एससीसी 334

5(2007) 1 एससीसी 683

6(2020) 5 एससीसी 230

पत्र प्रस्तुत किया है.यह उच्च न्यायालय है जिसने अपीलार्थी और अन्य सीधी भर्ती के प्रतिनिधित्व पर अंतिम निर्णय लेने के लिए समय लिया है.अपीलार्थी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक वैध तरीके से मुकदमा चला रहा था.इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के दावे में देरी हुई क्योंकि उसने 30-3-2009 के रूप में नियुक्ति की तारीख का दावा नहीं किया है.अपीलकर्ता को तथ्यात्मक रूप से नियुक्त किए जाने के कारण, दिनांक 22.12.2010 के पत्र द्वारा, वह नियुक्ति की इस तरह की पेशकश से पहले कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता था या उसका दावा नहीं कर सकता था.अपीलार्थी को सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर तैयार की गई उसी चयन सूची के अनुसरण में अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से सैद्धान्तिक वरिष्ठता प्रदान की जानी है।"

जैसा कि उपर्युक्त उद्धृत पैरा से देखा जा सकता है, वास्तविक नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अनुमानित वरिष्ठता के लाभ का दावा किया गया था।यह एक ऐसा मामला भी था जहां प्रतिस्पर्धा वाले पक्षों की भर्ती एक समान प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी।लेकिन वर्तमान चयन द्वारा भर्ती का मामला नहीं है और यह इस न्यायालय के आदेश पर की गई एक करुणामय नियुक्ति है।न्यायालय ने राज्य को यह विनिर्दिष्ट किए बिना कि नियुक्ति का भूतलक्षी प्रभाव होना चाहिए, एक माह के भीतर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।प्रत्यर्थी ने अपनी नियुक्ति को इस न्यायालय से पहले की तारीख से संबंधित करने के लिए कभी कोई दावा नहीं किया.नियुक्ति के बाद उन्होंने अपनी नियुक्ति की तिथि 20.11.1985 निर्धारित करने के लिए कभी भी उचित समय के भीतर कोई शिकायत नहीं की।छह साल बाद, केवल 10.9.2002 को, उसने एक अभ्यावेदन दिया और उसे इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया गया कि 1.8.1985 को, प्रत्यर्थी ने अभी तक सेवा में प्रवेश नहीं किया था.इन तथ्यों पर आगे बढ़ते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी अपने अधिकारों पर सोया है, और इससे पहले कभी भी (पहले दौर में) उच्चतम न्यायालय या राज्य को, उसकी नियुक्ति के तुरंत बाद, अपने वर्तमान दावे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया था. इसके अलावा, उनकी नियुक्ति प्रतिस्पर्धी भर्ती के किसी भी तत्व के बिना एक करुणामय नियुक्ति थी, इसलिए सी. जयचेन्द्रन (उपयुक्त) में अनुपात प्रतिवादी के लिए कोई सहायता नहीं करेगा क्योंकि यह मामला तथ्यों पर अलग-अलग है।

14. यहां के अभिलेख दर्शाते हैं कि राज्य ने इस न्यायालय द्वारा जारी निदेश को ईमानदारी से कार्यान्वित किया है और प्रत्यर्थी को नियुक्त किया है।इसके अलावा, सेवा में प्रवेश करने की तारीख से प्रत्यर्थी की वरिष्ठता के निर्धारण में अधिकारियों की कार्रवाई लागू कानूनों के अनुरूप पाई गई है.ऐसे व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं जहां आवेदकों के एक समूह को एक समान प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया जाता है, लेकिन किसी न किसी कारण से, उनमें से एक को छोड़ दिया जाता है जबकि अन्य को नियुक्त किया जाता

है। जब इसी तरह की नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और कानूनी रूप से गलत साबित होता है, तो राष्ट्रीय वरिष्ठता का लाभ वंचित व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।हालांकि, वर्तमान उस श्रेणी का मामला नहीं है।

15. उपर्युक्त चर्चा के आधार पर हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान करने में त्रुटियां की थी।तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त और निरस्त किया जाता है।इस आदेश के साथ पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोडकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

[आर. सुभाष रेड्डी, न्या.]

(ऋषिकेश राय, न्या.)

नई दिल्ली

28 सितंबर, 2021